□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4
21 □□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं म सेवानिवृत्ति को आयु

4. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) संवग के संपूण संकाय और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं म सेवानिवृत्ति को आयु को बढ़ाकर 65 वष करने का कोई निणय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त निणय को सभी सीएचएस संवर्गों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं म लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह;
(ग) क्या सरकार को उक्त निणय को लागू करने म हुई अनियमितताओं को जानकारी है और यदि हां, तो उन चिकित्सा सेवाओं और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, जहां उक्त निणय को लागू नहों किया जा रहा है; और
(घ) सरकार द्वारा सभी चिकित्सा सेवाओं म केन्द्रीय और राज्य दोनों को सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) से (घ): सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के शिक्षण उप-संवग के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति को आयु 65 वष तक बढ़ाए जाने के लिए 5.6.2008 को निणय लिया था। इसके पश्चात, सरकार ने 31.5.2016 को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सेवानिवृत्ति को आयु बढ़ाकर 65 करने का निणय लिया। इसके अलावा, केन्द्रीय चिकित्सा सेवाओं अथात आयुष चिकित्सकों, सशस्त्र चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत सिविलियन डॉक्टरों, भारतीय आयुध फैक्ट्री स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय म कायरत दंत चिकित्सकों, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों तथा रेलवे मंत्रालय के तहत दंत चिकित्सकों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम रायफल्स के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के उप-संवग के डॉक्टरों तथा कद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति को आयु भी बढ़ाकर 65 वष करने का निणय 27.09.2017 को लिया गया था।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निणय राज्य सरकार के चिकित्सकों पर लागू नहों होते और राज्य सरकार के चिकित्सकों के बारे म ऐसी कोई जानकारी केन्द्रीय रूप म नहों रखी जा रही है।

उक्त निणय के कायान्वयन म कोई अनियमितता नहों पाई गई है।

****